प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधीकारिता

सिविल अपील सं. 9417/2019

(विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 4074/2018 से उद्भूत)

मैसर्स डैफ़ोडिल फार्मास्यूटिकल्स
लिमिटेड एवं अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायामूर्ति एस. रविन्द्र भट्ट

1. अनुमति अनुदत्त की जाती है। सहमति से, उपस्थित सभी अधिवक्ता को सुना गया।

2. अपीलकर्ता (इसके बाद "डैफ़ोडिल"), दवा आपूर्तिकर्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से व्यथित है, जिसमें प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को अपीलार्थी से स्थानीय खरीदारी रोकने का निर्देश देते हुये

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जारी आदेश (दिनांक 21.08.2015) को दी गई उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दिया था। डैफ़ोडिल ने एक निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें राज्य ने इच्छुक पार्टियों से बोलियां लगाने की मांग की, जो दवा उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों की आपूर्ति करने के लिए तैयार थीं। एक वर्ष के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में, विभिन्न अस्पतालों को दवाइयां आपूर्ति करने के लिए सफल बोलीदाता की आवश्यकता थी। डैफ़ोडिल 56 बोलीदाताओं में से एक थे; इसकी बोली प्रत्यर्थी अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य को स्वीकार्य थी।

3. 14 निर्दिष्ट दवाओं के संबंध में 29.05.2015 को या उससे पहले अनुमोदित L1 दरों पर वर्ष 2015-16 के लिए तमिलनाडु सेवा निगम लिमिटेड को अपनी पिछली बोली से मेल खाने के लिए कहा गया था। बोली प्रस्तुत करने के समय, प्रत्येक निविदाकर्ता/बोलीदाता को निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक घोषणा प्रस्तुत करनी थी:

> *"फर्मों को एक हलफनामा देना चाहिए कि फर्म के खिलाफ कोई कोर्ट केस/विजिलेंस केस/सीबीआई केस लंबित नहीं है। निविदा में दिए गए सभी दस्तावेज सही हैं। यदि मिथ्या/फर्जी पाया गया तो व्यक्ति/फर्म को फर्म द्वारा स्वीकार करना होगा। (न्यायालय के मामले का अर्थ है सुसंगत विधि के अनुसार निदेशक/प्रबंधक/मुख्य स्टॉक धारक की फर्म/बोर्ड के विरुद्ध "दंड मामला")*

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह विवादित नहीं है कि डैफ़ोडिल ने निविदा के संदर्भ में आवश्यक घोषणा प्रस्तुत की।

4. जबकि, 21. 08. 2015 को, यू.पी. सरकार के प्रधान सचिव द्वारा आक्षेपित पत्र/नोटिस को यह कहते हुए जारी किया गया था कि डैफ़ोडिल के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसने अपराध किए हैं, और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मुद्दे पर पूछताछ कर रही थी। तदनुसार, स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यालयों को अपीलार्थी अर्थात डैफ़ोडिल निम्नलिखित शर्तों के तहत सभी खरीदों को हटाने और रोकने के लिए निर्देशित किया गया था:

> *"मुझे वर्णित स्थिति में यह कहने के लिए निर्देशित किया गया है कि सरकार के पूर्व आदेश तक कोई और स्थानीय खरीद नहीं की जानी है, उपरोक्त फर्मों से जो कि एनआरएचएम मामले में अस्पतालों द्वारा अनुबंध की दर से डीजीएस&डी/ ईएसआईसी और तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम सीबीआई की जांच के तहत हैं। यदि इन फर्मों के किसी भी अस्पताल प्रभारी द्वारा सरकार की मंजूरी के बिना दवा खरीदी जाती है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।"*

5. विभिन्न आधारों पर मनमानी की शिकायत करना, (इसके खिलाफ जारी दवाओं की खरीद या खरीद नहीं करने के लिए आक्षेपित किया गया निर्देश, एक गलत धारणा पर था कि इसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था), डैफ़ोडिल ने तर्क दिया कि आपराधिक मामला श्री

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सुरेंद्र चौधरी, तत्कालीन निदेशक, जिसने 22.02.2012 से इसका (यानी डैफ़ोडिल) से कोई संबंध नहीं छोड़ा था, के खिलाफ दायर किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि निर्णय नहीं प्राप्त करने के लिए, ब्लैक लिस्ट करने की राशि थी और इसे नोटिस या पूर्व-निर्णायक सुनवाई के बिना जारी किया गया था और परिणामस्वरूप एक तरफ अपास्त करने के लिए उत्तरदायी था।

6. आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने अन्य कार्यवाही में पिछले निर्देश को वापस ले लिया अर्थात् रिट याचिका सं. 3611 (एमबी)/2011 जहां इसने भारत सरकार द्वारा जारी धन के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निष्पादन और कार्यान्वयन के संबंध में पूछताछ की थी। आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि उस आदेश के अनुपालन में, सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के लिए मामला दर्ज किया और जांच के समापन के बाद तत्कालीन निदेशक डैफ़ोडिल और अन्य सह-अभियुक्तों सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ सक्षम अदालत में आरोप-पत्र दायर किया।

7. डैफ़ोडिल के इस तर्क पर ध्यान देने के पश्चात् कि सुरेन्द्र चौधरी इसका निदेशक नहीं रह गया और यह भी कि आदेश पारित करने के पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि नीति संबंधी निर्णयों से संबंधित संविदा संबंधी विवादों के मामले में अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता की व्याप्ति सीमित है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि राज्य सरकार की कार्रवाई अनुचित थी या लोकहित के प्रतिकूल थी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की शिकायत से निपटते हुए, उच्च न्यायालय का विचार था कि इस तरह के सिद्धांतों को एक अवरोध सूत्र के तहत नहीं रखा जा सकता है और परिणामस्वरूप, अनुबंध की व्यक्त शर्तों का पालन करने में विफलता और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप राज्य राज्य एजेंसियों को विभिन्न निर्देशों के माध्यम से अपने व्यवसाय को वापस लेने का सहारा ले रहा है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

> *"32. यह स्पष्ट है कि जब अनुबंध की व्यक्त शर्तों का पालन करने और/या उक्त शर्तों का उल्लंघन करने के लिए ठेकेदार की ओर से विफलता होती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य शुरू करने/निष्पादित करने या विनिर्देश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति करने में विफलता होती है। समझौते में निर्धारित या प्रदर्शन देना जो अनुबंध की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या याचिकाकर्ता की कार्रवाई प्रावधानों के खिलाफ और राज्य के हित के खिलाफ रिपोर्ट की जाती है, विभाग को विभिन्न निर्देशों के माध्यम से अपने व्यवसाय को विनियमित करने का अधिकार है राज्य एजेंसियों को जिसमें याचिकाकर्ता को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।*

8. डैफ़ोडिल की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित निर्णय गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय ने एक मुख्य पहलू की अनदेखी की,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अर्थात सुरेंद्र चौधरी ने 2012 में वापस निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया। इसलिए, आपराधिक मामले में फंसाए जाने से डैफ़ोडिल यानी अपीलार्थी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इसके अलावा यह तर्क दिया गया था कि कंपनी के खिलाफ अपने पूर्ववर्ती निदेशक के कृत्यों और चूक के कारण एक अनुचित और मनमानी कार्रवाई के अलावा, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों की अनदेखी करने में एक त्रुटि की (जिसमें रस्तरिया इस्पात निगम बनाम वर्मा (2006) 7 एससीसी 275 और कालजा इंडस्ट्रीज बनाम पश्चिमी टेलीकॉम (2014) 14 एससीसी 731 शामिल हैं), जो स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया था कि काली सूची या डिबार आदेश पारित करने का प्रस्ताव करने से पहले, पार्टियों को एक उचित तर्क आदेश के बाद सुनवाई दी जानी थी।

9. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को खरीद बंद करने का निर्देश देते हुए इसके द्वारा किया गया आदेश, डिबार आदेश के बराबर नहीं है। यह आग्रह किया गया था कि सुरेंद्र चौधरी डैफ़ोडिल के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, जिसके लिए उन पर सीबीआई द्वारा विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। इनमें राज्य से खरीद आदेश प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और व्यक्तियों को आपूर्ति के काल्पनिक खाते शामिल थे। संबंधित खंड 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय का मामला फर्म, निदेशक मंडल

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

या व्यक्तिगत निदेशकों के विरुद्ध "आपराधिक मामला" अभिप्रेत है इसलिए, सुरेंद्र चौधरी की भागीदारी घनिष्ठ थी, जो मौजूदा निदेशक के रक्त संबंधी के अलावा और कोई नहीं था, अपीलार्थी का यह तर्क कि कार्य और लोप के कृत्यों ने किसी भी तरह से इसे प्रभावित नहीं किया, सही नहीं है। विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन तथ्यों के संबंध में, प्रधान सचिव (21.08.2015 को) द्वारा दिया गया आदेश केवल अपीलार्थी से स्थानीय रूप से दवाओं की खरीद नहीं करने को एक निर्देश था; इसे डिबार या काली सूची आदेश के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह इंगित किया गया कि अपीलार्थी ने 2014 में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें निविदा को अंतिम रूप नहीं देने के लिए एक निर्देश की मांग की गई थी जिसके लिए उसने बोली लगाई थी; इसके अलावा, दिनांक 21.08.2015 के आदेश को अदालत के निर्देशों के अनुसार बनाया गया था। नतीजतन, अपीलार्थी को इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती थी।

10. डैफ़ोडिल ने अनुबंध के लिए बोली लगाई थी, (जैसा कि तथ्यात्मक कथन से स्पष्ट है), यू.पी. राज्य के स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न श्रेणियों की दवाओं की आपूर्ति करने के लिए निविदा शर्तों में से प्रत्येक बोलीदाता को यह घोषित करने की आवश्यकता थी कि इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था। अपीलार्थी, डैफ़ोडिल ने, पिछली रिट याचिका सं. 35253/2015 दाखिल करके, अपनी बोली

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को अस्वीकार करने के राज्य के निर्णय के कारण मनमानी की शिकायत करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसे खारिज कर दिया गया था।

11. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के बहिष्कार में कोई अवैधता नहीं थी, यानी दवाओं की आपूर्ति के लिए निविदा से डैफ़ोडिल और वास्तव में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश रिट याचिका को खारिज करते हुए डैफ़ोडिल के निविदा की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, डैफ़ोडिल से डिबार प्रबन्ध के बाद की गई थी।

12. हालांकि कार्यवाही में, ऐसा प्रतीत होता है कि निविदा को अंतिम रूप (2014 में जारी किया गया) देने के खिलाफ कुछ स्तर पर डैफ़ोडिल द्वारा मुकदमा दायर किया गया था यह स्पष्ट नहीं है कि 2015 में अपनी रिट याचिका दायर करने और खारिज करने के मद्देनजर मुकदमा वापस ले लिया गया था या नहीं। यह स्पष्ट है, हालांकि कथन यह है कि 21.08.2015 के आदेश से पहले, अपीलार्थी को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कारण बताओ नोटिस या अवसर नहीं दिया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

13. हालांकि, यू.पी. राज्य ने तर्क दिया है कि डैफ़ोडिल से कोई खरीद नहीं करने की आवश्यकता वाले आक्षेपित आदेश, न तो काली सूची है और न ही डिबार आदेश है, हमारी राय में, वास्तव में और वास्तविकता यह आदेश एक आदेश या एक निर्देश, अनिश्चित काल के लिए डैफ़ोडिल से दवाओं की स्थानीय खरीद से यू.पी. राज्य को डिबार करने और रोकने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत, "सामान्य" काली सूची आदेश, जिसमें एक परिमित जीवन काल (तीन या अधिकतम पांच वर्षों का) है, अनिश्चित निर्देश (जो आपराधिक मामले के जीवनकाल के साथ सह-संलग्न प्रतीत होता है) एक काली सूची आदेश की तुलना में बहुत अधिक अनुपातहीन है। आज भी, यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी यानी सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए गए हैं या नहीं।

14. एरूसियन इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[1975 (1) SCC 70]और रघुनाथ ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य[1989 (1) SCC 229] के साथ-साथ बाद के निर्णयों[साउदर्न पेन्टर्स बनाम फर्टिलाइजर एवं केमिकल त्रावणकोर लिमटेड, 1994 उपरोक्त (2) SCC 699; ग्रासन्स फार्मास्यूटिकल्स (प्र) लिमटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य P.,(2001) 8 SCC 604; बी.एस.एन. जोशी एवं सन्स लिमटेड बनाम नायर कोल सर्विस लिमटेड(2006) 11 SCC 548] में अब यह स्पष्ट किया है कि इससे पहले कि किसी भी कार्यकारी निर्णय निर्माता ने एक प्रतिकूल कार्रवाई का प्रस्ताव किया हो, जैसे कि डिबार या काली सूची ऑर्डर, यह आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई और प्रतिनिधित्व का अवसर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पार्टी को प्रभावित होने की संभावना है। यह रघुनाथ ठाकुर (उपरोक्त) में असमान शब्दों में कहा गया है:

> *"20. काली सूची का प्रभाव किसी व्यक्ति को लाभ के प्रयोजनों के लिए सरकार के साथ वैध संबंध में प्रवेश करने के विशेषाधिकार और लाभ से रोकने का है। तथ्य यह है कि काली सूची के आदेश से एक असमर्थता बनाई जाती है, यह दर्शाता है कि संबंधित प्राधिकरण के पास एक उद्देश्य संतुष्टि है। निष्पक्ष खेल के बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकता है कि इससे पहले कि वह काली सूची में रखा जाए, संबंधित व्यक्ति को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"*

साउदर्न पेन्टर्स (उपरोक्त) मामलें में शिकायत सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी द्वारा बनाए गए अनुमोदित ठेकेदारों की सूची से याचिकाकर्ताओं के नाम को एकतरफा हटाने के संबंध में थी। इस अदालत ने माना कि इस तरह की कार्रवाई मनमानी थी:

> *"इस आधार पर अनुमोदित ठेकेदारों की सूची से अपीलार्थी के नाम को हटाना कि उसके खिलाफ कुछ सतर्कता रिपोर्ट थी, केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के साथ और उसके बाद ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया गया है, यह आयोजित करने की आवश्यकता है कि अपीलकर्ता से निविदा प्रपत्र को वापस लेना उचित नहीं था। हमारी राय में, रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था। "*

15. वर्तमान मामले में, भले ही कोई मान ले कि लंबित आपराधिक मामले में आरोपी सुरेंद्र चौधरी शामिल था और उसने आपत्तिजनक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गतिविधियों में लिप्त होने की मांग की थी, कि इस तथ्य से ही उस तरह की एकतरफा कार्रवाई का परिणाम नहीं हो सकता था, जिसका राज्य ने डैफ़ोडिल के खिलाफ, जिसे कभी भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था या किसी आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया, सहारा लिया था। यदि कोई निरंतर प्रवेशकर्ता है जो इस देश में न्यायिक सीमा को प्रकाश डालता है, तो यह है: कि किसी को भी प्रतिकूल आदेश से नहीं हटाया जा सकता है, बिना सुनवाई का न्यूनतम अवसर दिए, और इस तरह के कदम की पूर्व सूचना दी जा सकती है। यह सिद्धांत इस देश के कानूनी लोकाचार में बहुत अच्छी तरह से उलझा हुआ है, जैसा कि इस मामले में राज्य ने किया था।

16. उच्च न्यायालय, इस अदालत की राय में, यह धारण करने में त्रुटि में पड़ गया कि सार्वजनिक अनुबंधों के पुरस्कार के मामलों में, न्यायिक समीक्षा में जांच का दायरा सीमित है। दी गई, ऐसा अधिकार क्षेत्र बेहद परिचालित है; इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत ने अपने निविदा की गलत अस्वीकृति की अपनी याचिका के खिलाफ डैफ़ोडिल को राहत देने से इनकार कर दिया था। हालाँकि, जो लागू किया गया निर्णय स्पष्ट रूप से अनदेखा करता है, वह यह है कि डैफ़ोडिल द्वारा जटिलता की धारणा पर, अनिश्चित काल तक खरीद करने के लिए राज्य की कार्रवाई, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रमुख उल्लंघन में थी।

17. आम तौर पर, इस अदालत ने यू.पी. सरकार के फैसले को रद्द कर दिया होगा, और कोई कार्रवाई करने से पहले इसे डैफ़ोडिल को सुनवाई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

देने के लिए छोड़ दिया होगा। हालाँकि, यह देखते हुए कि डिबार का आदेश (यानी डैफ़ोडिल से स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं करने का निर्देश) 4 साल और 3 महीने पहले बनाया गया था, यह अदालत की राय है कि यह न्याय के समग्र हित में होगा कि उचित राहत दी गई है। तदनुसार, प्रमुख सचिव, यू.पी. सरकार के उक्त आदेश ने सभी संबंधित विभागों को अपीलार्थी से स्थानीय खरीद का सहारा लेने से रोकने का निर्देश को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय इसके द्वारा अपास्त कर दिया गया है। उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

.....न्यायामूर्ति

[आर. एफ. नारायण]

.....न्यायामूर्ति

[एस रविन्द्र भगत]

नई दिल्ली,
13 दिसम्बर 2019.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।